

04.11.2024

निर्णय  
21-01-2025

2024/685

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
साहब खां बनाम स्टेट

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 492 वर्ष 2024

30.12.2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
14.10.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा 04.11.2024 को पेश हो।</p> <p>~ ~</p> <p>1 कुलाए फरसकन उपस्थित/PU माह 2024 पत्रावली है। पत्रावली 20/10/24 मस्त तबही दिनांक 20/10/24 का पेश हो 30/10/24</p> <p>1 कुलाए फरसकन उपस्थित/PU माह 2024 पत्रावली है। पत्रावली 20/10/24 मस्त तबही दिनांक 20/10/24 का पेश हो 30/10/24</p> <p>1 कुलाए फरसकन उपस्थित/PU माह 2024 पत्रावली है। पत्रावली 20/10/24 मस्त तबही दिनांक 20/10/24 का पेश हो 30/10/24</p>	
21-1-2025	<p>प्रकृलाए फरसकन उपस्थित/PU माह 2024 के रिपोर्ट प्राप्त हुई। वदम सुनी गरी पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपखण्ड रिवाइज काउंटे के आधार पर वाद जारी- डिस्टी किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शक्तिव कार्रवाई किया जाये। पत्रावली नम्बर के कम की जा कर वाउ तदकीव तदकीव जाया दाखिलदफतर हो।</p>	

